सद्भाव यात्रा ने भाईचारे और एकता की मिसाल कायम की : राममेहर दनौदा

पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के साथ युवा नेता राममेहर दनौदा।

उचाना, 25 मई (नरेंद्र जेठी): पिछले 231 दिन के दौरान 23 जिलों के 90 विधानसभा क्षेत्रों में बृजेंद्र सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले युवा कांग्रेस नेता राममेहर दनौदा ने कहा कि कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की सदभाव यात्रा ने हरियाणा में भाईचारे एवं सामाजिक एकता की एक नई मिसाल कायम की है। इस यात्रा ने सत्ताधारी दल भाजपा की नफरत और विभाजनकारी की राजनीति को बेनकाब किया है।

उन्होंने कहा कि सदभाव यात्रा 5 अक्टूबर को नरवाना के ऐतिहासिक दनौदा गांव स्थित बिनैन खाप के चबूतरे से रवाना हुई थी। यात्रा ने प्रदेश के सभी हलकों का पैदल यात्रा के माध्यम से दौरा किया है। 231वें दिन यह यात्रा 90वें विधानसभा क्षेत्र यानी रोहतक में संपन्न हुई है। इस यात्रा ने केवल भौगोलिक दूरी तय नहीं की, बल्कि भाजपा सरकार द्वारा समाज में पैदा किए गए अविश्वास और नफरत की खाई को पाटकर प्रदेश के भाईचारे को एकबार फिर से जीवंत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सदभाव यात्रा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरूग्राम पहुंचे तो रोहतक में कांग्रेस सहप्रभारी जितेंद्र बघेल, रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष धर्मपाल मलिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह सहित अन्य नेताओं का शामिल होना प्रदेश कांग्रेस की भावी राजनीति की दिशा को भी दर्शाता के है। बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में काफिला रुका नहीं है बल्कि यह तो शुरूआत है लोगों के बीच रहकर उनके मुद्दों को आवाज देने की।

जन संघर्ष समिति ने तोड़े गए अनधिकृत निर्माण पर उठाए सवाल

भिवानी, 25 मई (भारत भूषण शर्मा): जनसंघर्ष समिति भिवानी के जिला संयोजक व माकपा नेता कामरेड ओमप्रकाश व माकपा जिला सचिव मंडल सदस्य सुखदेव पालवास ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थानीय सैक्टर-13 व 23 में अनधिकृत निर्माण को हुड्डा द्वारा गिराए जाने के मुद्दे को जिला उपायुक्त समाधान शिविर में उठाया। जिसमें यह सवाल उठाया कि सैक्टर नागरिक एसोसिएशन व सैक्टर के नागरिकों से तालमेल किए बगैर अंधाधुंध तरीके से अवैद्य निर्माण गिराते समय सीवरेज लाइनों को तोड़ा गया। सड़क के बराबर मकानों के आगे बगैर दीवार व जाली के फर्श तोड़े गए और भेदभाव पूर्ण तरीके अपनाकर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया, उससे पीड़ित नागरिकों में भारी रोष है और उनमें एक डर का माहौल बना दिया गया है। ये नागरिक अवैद्य निर्माण तोड़ने का या कोर्ट के निर्णय का विरोध नहीं कर रहे थे, परंतु जो तरीका अपनाया गया और सीवरेज व फर्श तोड़े गये और भेदभाव बरता गया, उसके प्रति गुस्सा था। समिति नेताओं ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की पूरी तरह से जांच करवाई जाए तथा नियमानुसार नागरिकों के घर के सामने 5.6 फुट की जगह छोड़ी जाए, जहां वे ग्रिनरी लगा सकें।

बांग्लादेश के चिटगांव में प्रोटोकॉल अधिकारी के तौर पर कार्यरत गांव छात्तर के नरेंद्र कुमार का हृदय गति रुकने से निधन

नरेश कुमार की अंतिम यात्रा में शामिल ग्रामीण।

नरेश कुमार के पिता व बेटे को तिरंगा देते हुए पुलिस जवान।

उचाना, 25 मई (नरेंद्र जेठी): बांग्लादेश के चिटगांव में भारत के उच्चायोग में प्रोटोकॉल अधिकारी के तौर पर कार्यरत छात्तर गांव के नरेंद्र कुमार पुत्र रामनिवास का हदय गति रूकने से निधन हो गया। नरेंद्र चंडीगढ़ पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। खटकड़ टोल से नरेंद्र कुमार पार्थिव शरीर गांव तक मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ तिरंगा हाथों में लेकर युवा, ग्रामीण लेकर आए। विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री की पत्नी सुषमा अत्री नरेंद्र कुमार के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। नमन आंखों से ग्रामीणों ने विदाई दी। नरेंद्र कुमार अपने माता-पिता के इकलौता बेटा था। वो अपने पीछे पत्नी, एकलौते बेटे एवं माता-पिता को छोड़ कर चला गया। हर किसी की आंख नरेंद्र कुमार को अंतिम विदाई देते हुए नम हो गई। चंडीगढ़ पुलिस ने नरेंद्र कुमार को अंतिम सलामी दी।

नरेंद्र कुमार का बेटा अर्श सिंह 8 साल का है। बेटे को ये नहीं पता कि उसका पिता अब वापिस नहीं आएगा। 18 मई को नरेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी से फोन पर दोपहर को बात की तो वो बिल्कुल सही था। शाम को जब उसकी पत्नी ने संपर्क करना चाहा तो उससे बात नहीं हुई। चचेरे भाई सुरेंद्र ने भी संपर्क करना चाहा लेकिन बातचीत नहीं हुई। 19 मई को चचेरे भाई सुरेंद्र के पास चिटगांव से कॉल आई कि नरेंद्र कुमार का निधन हो गया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें निधन हदयगति रूकने से पाया गया।

शादी को 15 साल हुए थे। पत्नी को यकीन नहीं हो रहा कि अब नरेंद्र कुमार कभी घर पर नहीं आएगा। नरेंद्र कुमार के चाचा, ताऊ सभी एक साथ रहते है। नरेंद्र के साथ पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि 1 नवंबर 2008 को नरेंद्र कुमार चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती हुआ था। चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से भारत के उच्चायोग में प्रोटोकॉल अधिकारी के तौर पर गए चार साल हो चुके थे। अब भारत वापिस आने का समय था। बहुत मिलनसार स्वभाव का था। हर किसी के काम वो आता था। खुद का काम छोड़ कर दूसरे के काम करता था। भारत के उच्चायोग में प्रोटोकॉल अधिकारी के तौर पर सिलेक्ट होकर जाते है।

खटकड़ से गंगा दशहरा पर हरिद्वार जाने के लिए बस को रवाना करते हुए सुषमा देवेंद्र अत्री।

विधायक ने खटकड़ की महिलाओं से किया वायदा निभाया

गंगा दशहरा के लिए हरिद्वार गंगा स्नान के लिए भेजी बस

उचाना, 25 मई (नरेंद्र जेठी): खटकड़ गांव से हरिद्वार के लिए महिलाओं की बस को भाजपा नेत्री सुषमा देवेंद्र अत्री द्वारा रवाना किया। बीते दिनों खटकड़ गांव की महिलाओं ने विधायक से मुलाकात कर गंगा दशहरा पर्व पर हरिद्वार में स्नान करवाने की मांग की थी। विधायक ने महिलाओं से किए वायदे को निभाते हुए हरिद्वार जाने के लिए बस को भेजा। इस धार्मिक यात्रा को लेकर महिलाओं ने विधायक का आभार प्रकट किया।

सुषमा अत्री ने कहा कि गंगा दशहरा का दिन बड़ा पवित्र है। महिलाओं की इच्छा थी कि इस दिन हरिद्वार में गंगा में डूबकी वो लगाए। विधायक द्वारा महिलाओं से वायदा किया था। उस वायदे को पूरा करते हुए बस के आने-जाने का खर्च सहित जो भी खर्च आएगा वो विधायक द्वारा वहन किया जाएगा। ये हमारा दायित्व भी बनता है क्योंकि उचाना हलका हमारा परिवार है। परिवार के सदस्य कोई मांग रखे उसे पूरा करने की हर संभव कोशिश रहती है। महिलाओं ने कहा कि विधायक ने एक जनसेवक की तरह विधायक कार्य कर रहे है। वो जो कहते है वो करते है। जो वायदा किया था उसे वायदे को पूरा किया।

अतिरिक्त उपायुक्त ने समाधान शिविर में सुनी नागरिकों की समस्याएं, प्राथमिकता के आधार पर समाधान के दिए निर्देश

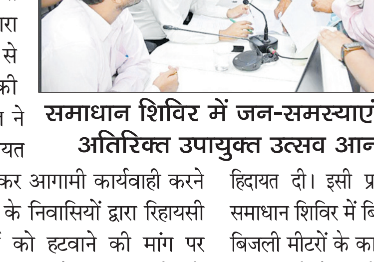

समाधान शिविर में जन-समस्याएं सुनते अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद।

हिसार, 25 मई (विरेन्द्र वर्मा): प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद ने सोमवार को लघु सचिवालय परिसर में नागरिकों की समस्याओं को सुना। समाधान शिविर में पानी आलमपुर न्याणा एक प्रार्थी द्वारा गांव के सरपंच द्वारा 6 महीने से अधूरे पड़े निर्माण कार्य की शिकायत पर अतिरिक्त उपायुक्त ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को मामले की जांच कर आगामी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। गांव मोडा खेड़ा के निवासियों द्वारा रिहायसी क्षेत्र के पास बने पोल्ट्री फार्म को हटवाने की मांग पर अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने को कहा। गांव आर्य नगर निवासियों द्वारा गांव की पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की मांग पर अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को मामले की जांच कर आगामी आवश्यक कार्रवाई कर समाधान करने के निर्देश दिए। वार्ड नंबर 17 के पार्षद राजेश ने डिफेंस कॉलोनी के गेट नंबर 4 के सामने गुजर रहे रास्ते पर अवैध कब्जे को हटाकर रास्ता खुलवाने की मांग पर अतिरिक्त उपायुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों को मामले की जांच कर आगामी कार्यवाही अमल में लाने की हिदायत दी। इसी प्रकार अमरदीप कॉलोनी के निवासियों ने समाधान शिविर में बिजली के खंभों पर अनावश्यक मात्रा में लगे बिजली मीटरों के कारण राहगीरों को बिजली के करंट लगने की संभावनाओं के चलते बिजली मीटरों को उचित जगह पर लगाने की मांग पर अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसई को मौका मुआयना कर निवासियों की समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बाबा की जोहड़ी पर राहगीरों को ठंडा-मीठा जल पिलाने का दृश्य।

बाबा की जोहड़ी पर लगाई ठंडे-मीठे जल की छबील

उचाना, 25 मई (नरेंद्र जेठी): दिल्ली-पटियाला हाइवे पर प्राचीन बाबा की जोहड़ी पर आने जाने वाले वाहन चालकों, राहगीरों के लिए ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई। छबील में बड़ी संख्या में लोगों ने जल ग्रहण किया और इस सामाजिक सेवा कार्य की सराहना की। युवा सुनील, अमित ने बताया कि गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को मीठा पानी पिलाना अत्यंत पुण्य का कार्य है। सोमवार से नौ तपा शुरू होने से तापमान बढ़ रहा है। आने-जाने वाले वाहन चालकों, राहगीरों के लिए ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई ताकि गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिला कर प्यास को बुझाया जा सकें। आने-जाने वालों को रूकवाकर पानी पिलाया गया।

'साइकिलिंग न केवल शारीरिक व्यायाम में अत्यंत लाभदायक, बल्कि पर्यावरण संरक्षण व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी उपयोगी'

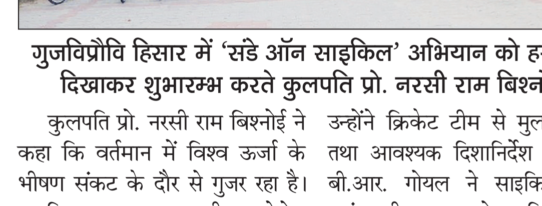

गुजविप्रौवि हिसार में 'संडे ऑन साइकिल' अभियान को हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ करते कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई।

हिसार, 25 मई (विरेन्द्र वर्मा): गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार (गुजविप्रौवि) के कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने कहा है कि साइकिलिंग न केवल शारीरिक व्यायाम में अत्यंत लाभदायक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी उपयोगी है। साइकिलिंग को नियमित रूप से दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई 'संडे ऑन साइकिल' अभियान के शुभारंभ के अवसर पर बतौर मुख्यातिथि अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर सेवानिवृत जिला खेल अधिकारी डा. बी.आर. गोयल, खेल निदेशालय के डीन प्रो. आशीष अग्रवाल एवं खेल निदेशक डा. एस.बी. लुथरा उपस्थित रहे।

कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने कहा कि वर्तमान में विश्व ऊर्जा के भीषण संकट के दौर से गुजर रहा है। साइकिल पर चलकर हम डीजल, पेट्रोल व सीएनजी की उल्लेखनीय मदद कर सकते हैं। उन्होंने नियमित रूप से साइकिल पर चलने वालों की प्रशंसा की तथा अन्य सबको भी साइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खेल विभाग की सुविधाओं तथा गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने क्रिकेट टीम से मुलाकात की तथा आवश्यक दिशानिर्देश दिए। डा. बी.आर. गोयल ने साइकिलिंग की प्रशंसा की तथा सबको साइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया। डीन प्रो. आशीष अग्रवाल ने बताया कि लगभग पांच किलोमीटर की साइकिल वाक में विद्यार्थियों, कर्मचारियों, शिक्षकों व अधिकारियों के अतिरिक्त परिसर के बच्चों ने भी भाग लिया।

ग्रामीण पेयजल संचालन व रखरखाव नीति-2026 के कार्यान्वयन को लेकर उपायुक्त ने की अधिकारियों के साथ बैठक

ग्रामीण पेयजल संचालन व रख-रखाव नीति की बैठक के दौरान उपस्थित उपायुक्त महेंद्र पाल।

हिसार, 25 मई (विरेन्द्र वर्मा): उपायुक्त महेंद्र पाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण पेयजल संचालन एवं रखरखाव नीति 2026 में वर्णित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए ग्रामस्तरीय जल एवं सीवरेज कमेटी का गठन कर आगामी प्रक्रिया करना सुनिश्चित करें। वे सोमवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में ग्रामीण पेयजल संचालन एवं रखरखाव नीति 2026 के कार्यान्वयन हेतु आयोजित बैठक की वीसी के उपरांत संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। बैठक में उपायुक्त को अवगत करवाया कि अब तक 30 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव जिला प्रशासन को प्राप्त हुए है, जल्द ही इस आंकड़े को बढाकर 70 किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीति के अनुसार पहले एकल ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तरीय जल एवं सीवरेज कमेटी का गठन किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्ताव भिजवाने वाले गावों में ग्राम स्तरीय जल एवं सीवरेज कमेटी गठित कर जनस्वास्थ्य विभाग एवं ग्राम पंचायत के बीच एमओयू साइन करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिए, इसके बाद ग्राम पंचायत का बैंक खाता खुलवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि इस कमेटी में गांव से 16 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें गांव का सरपंच इस कमेटी का चेयरमैन होगा।

यह कमेटी नीति के अनुसार गांवों में जलापूर्ति एवं सीवरेज संबंधी आधारभूत संरचना बनाने, कनेक्शन करवाने, बिजली बिल, स्टाफिंग एवं नई अवसंरचना का कार्य पब्लिक हेल्थ विभाग के पास रहेगा, जबकि घरों तक जलापूर्ति, लीकेज मरम्मत, हेड वर्क्स का रखरखाव एवं राजस्व संग्रह गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नीति सामुदायिक स्वामित्व, पारदर्शिता एवं वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। उपायुक्त महेंद्र पाल ने कहा कि इस नीति के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए एवं जन-जागरूकता हेतु ग्राम सभाओं में नीति के प्रावधानों की जानकारी दी जाए ताकि जल शुल्क संग्रह में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि यह नीति ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी इस अवसर पर एसडीएम ज्योति मित्तल, सीटीएम सुभाष चंद्र, जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता आदर्श सिंगला सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

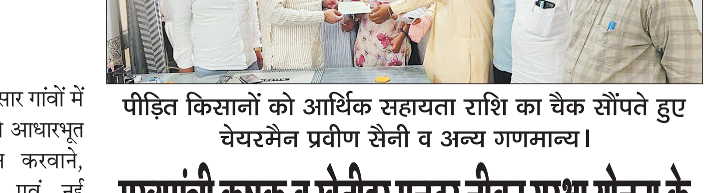

पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता राशि का चैक सौंपते हुए चेयरमैन प्रवीण सैनी व अन्य गणमान्य।

मुख्यमंत्री कृषक व खेतीहर मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत हादसे का शिकार किसानों को मिली आर्थिक सहायता

हिसार, 25 मई (विरेन्द्र वर्मा): हरियाणा सरकार द्वारा किसानों, खेतिहर मजदूरों एवं मंडी कामगारों के हित में चलाई जा रही मुख्यमंत्री कृषक एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत हादसे का शिकार हुए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की गइ। बरवाला मार्केट कमेटी चेयरमैन प्रवीण सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और मजदूरों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है तथा दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल देने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव बालक निवासी बुजुर्ग महिला नरेश को योजना के तहत 1 लाख 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। नरेश अपने पशुओं के लिए चारा काटते समय हादसे का शिकार हो गई थीं। चारा काटने वाली मशीन की चपेट में आने से उनके हाथ की चार उंगलियां कट गई थीं। सरकार की जनकल्याणकारी योजना के तहत उन्हें राहत राशि उपलब्ध करवाई गई, जिससे परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके।

इसी प्रकार गांव बोबुआ निवासी किसान दयानंद को भी योजना के अंतर्गत 37 हजार 500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। दयानंद खेत में सरसों निकालने के दौरान थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से घायल हो गए थे, जिससे उनकी अंगुली कट गई थी। योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई। इस मौके पर चेयरमैन प्रवीण सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना किसानों, मजदूरों और मंडी कामगारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजना है।

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. कमल गुप्ता के आवास का दौरा किया

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. कमल गुप्ता से उनके आवास पर कुशलक्षेम जानते हुए।

डा. कमल गुप्ता व उनके परिजनों से बात कर आग लगने की घटना पर की संवेदनाएं व्यक्त

हिसार, 25 मई (विरेन्द्र वर्मा): केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. कमल गुप्ता के आवास का दौरा किया। उन्होंने डॉ. कमल गुप्ता से रविवार को आग लगने की घटना की जानकारी ली और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इसके उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिजली खपत के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देश में इस समय 274 गीगा वाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस सीजन में अभी तक एक दिन में सर्वाधिक 270.8 गीगा वाट बिजली की खपत हुई थी। इस गर्मी के सीजन में संभवत: खपत का यह पीक था, जो अब आगे इससे कम रहने की संभावना है। इस प्रकार से देश में बिजली की इस समय कोई कमी नहीं है। भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बिजली की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों की वृद्धि के संबंध में विपक्षी दलों द्वारा की जा रही बयानबाजी के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर के संबंध में उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के युद्ध के बाद दुनिया के अधिकतर देशों में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं। कुछ देशों में तो दोगुने तक भी दाम बढे हैं, इसलिए हमें इस वैश्विक परिस्थिति को समझना होगा। विपक्षी दल इस बारे में अनर्गल बयानबाजी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता को वास्तविक परिस्थितियों का पता है। विपक्षी दल इस बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। देश में ऐसे दलों का जनाधार लगातार खत्म होता जा रहा है। कोकरोच जनता पार्टी के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अनार्किज्म की कोशिश है, लेकिन देश की जनता भी समझदार है। ऐसी कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी। इस अवसर पर मेयर प्रवीण पोपली, उपायुक्त महेंद्र पाल, पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन, जिला नगरायुक्त नीरज, मार्केट कमेटी चेयरमैन रविंद्र रॉकी, मीडिया प्रभारी राजेंद्र सपरा, रामचंद्र गुप्ता, प्रवीण जैन, धर्मपाल रतेरिया, मनीष ऐलावादी, सतीश सुरलिया, सुरेंद्र सिंह सैनी, मंदीप मलिक, पीयूष मेहता, कृष्ण बिश्नोई, लोकेश असीजा, राहुल सैनी, दीपक अग्रवाल, सुरेश गोयल धूपवाला तथा विनोद तोषावड़ सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

बधावड़ में आज होगी किसान-मज़दूर महापंचायत, तैयारियां पूर्ण

जन-सम्पर्क अभियान के विभिन्न दृश्य।

उकलाना, 25 मई (जगदीश असीजा): बाढ़, जलभराव और सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में पानी निकासी के स्थायी प्रबंध तथा किसानों के बकाया मुआवजे की मांग को लेकर 26 मई को गांव बधावड़ में किसान-मजदूर महापंचायत आयोजित की जाएगी। महापंचायत की तैयारियों को लेकर विभिन्न गांवों में बैठकों और जनसंपर्क अभियान का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव सरबत सिंह पूनिया, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन के जिला प्रधान डॉ. मियां सिंह बिठमड़ा, किसान सभा तहसील प्रधान मास्टर फूल सिंह, सचिव प्रदीप बूरा और सह सचिव रमेश कुंडू ने बताया कि महापंचायत की तैयारी के तहत कडूल, खैरी, फरीदपुर, दौलतपुर, बेरिया, बिठमड़ा, लितानी और हसनगढ़ गांवों का दौरा कर किसानों और मजदूरों के साथ बैठकें की गईं। उन्होंने कहा कि महापंचायत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पंचायत को लेकर किसानों व मजदूरों में भारी उत्साह है।

किसान नेताओं ने बताया कि पंचायत में किसान सभा के राज्य प्रधान मां बलबीर सिंह तथा प्रदेश महासचिव सुमित दलाल मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेंगे। बैठकों को संबोधित करते हुए जिला सचिव सरबत सिंह पूनिया ने कहा कि पिछले वर्ष अत्यधिक बारिश और सरकार व प्रशासन की लापरवाही के कारण हरियाणा के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए थे। पानी निकासी के उचित प्रबंध न होने से किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के घरों तक में पानी भर गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि हर वर्ष आपदा राहत कोष का बजट जारी होने और ड्रेनों की सफाई व गाद निकालने की योजनाएं बनने के बावजूद भ्रष्टाचार के कारण धरातल पर काम नहीं हो पाता। इसका खामियाजा किसानों और आम लोगों को भुगतना पड़ता है। किसान नेताओं ने कहा कि जिन गांवों में फसलों और अन्य संपत्ति का नुकसान हुआ था, वहां अब तक बहुत कम लोगों को मुआवजा मिला है। सरकार द्वारा खरीफ 2025 के फसल खराबे पर कई किसान विरोधी आपत्तियां लगाकर प्रभावित किसानों को राहत से वंचित किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों और मजदूरों को उनका हक नहीं देकर सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है। उन्होंने बताया कि इन मुद्दों को लेकर 26 मई को बधावड़ में आयोजित किसान-मजदूर महापंचायत में आगामी आंदोलन की रूपरेखा और निर्णायक संघर्ष की घोषणा की जाएगी।

अवैध शराब सहित युवक काबू

भूना, 25 मई (जितेन्द्र तूर): अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए भूना पुलिस ने गांव नहला में कार्रवाई कर एक युवक को 120 बोतल अवैध देसी शराब सहित गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। थाना भूना प्रभारी उपनिरीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि पुलिस टीम गांव नहला बस अड्डा क्षेत्र में गश्त और अपराध जांच अभियान के दौरान मौजूद थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गांव नहला निवासी संदीप उर्फ पहाड़ी अनाज मंडी में बने चबूतरे के नीचे भारी मात्रा में अवैध देसी शराब छिपाकर बेचने की तैयारी में है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर दबिश दी। पुलिस के अनुसार, मौके पर एक युवक शराब की पेटियों के पास खड़ा मिला, जो पुलिस वाहन देखकर घबरा गया। संदेह के आधार पर उसे काबू कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपनी पहचान संदीप उर्फ पहाड़ी निवासी गांव नहला के रूप में बताई। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से देसी शराब मार्का 'मस्ती माल्टा' की 10 पेटियां बरामद हुईं। इन पेटियों में कुल 120 बोतल अवैध शराब पाई गई। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना भूना में अभियोग संख्या 124 दिनांक 24 मई 2026 के तहत धारा 61/4/20 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

आमजन को सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता : गंगवा

हिसार, 25 मई (विरेन्द्र वर्मा): हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के मद्देनजर आमजन को सुचारू पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेशभर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पानी से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न न होने दिया जाए। जरूरत वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त टैंकरों के माध्यम से भी पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को मूलभूत सुविधाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करवाना है। विभाग द्वारा जल संरक्षण, पाइपलाइन व्यवस्था को मजबूत करने तथा जल निकासी प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा भी प्रदेशभर में सडक्र नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। नई सडक्रों के निर्माण, पुरानी सडक्रों के सुदृढ़ीकरण तथा यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आई डी एफ सी बैंक लिमिटेड में शामिल एवं मौजूदा समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जानी जाती)

सीआईएन : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय : के आर एम टावर्ज़, आठवीं मंज़िल, हैरिंगटन रोड, चेतपेत, चेन्नई-600031.

टैली : +91 44 4564 4000 फैक्स : +91 44 4564 4022

सिक्योरटाइजेशन एवं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनैंशियल एसैट्स एवं इनफोरसमैंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रैस्ट एक्ट 2002 की धारा 13(2) अधीन सूचना

निम्न दर्शाए कर्ज़दारों एवं सहकर्ज़दारों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में शामिल एवं मौजूदा समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जानी जाती) से निम्न दर्शाए सिक्योर्ड ऋण प्राप्त किए थे। निम्न दर्शाए कर्ज़दारों एवं सह कर्ज़दारों के ऋण उनकी संबंधित सम्पत्तियों को गिरवी रख कर सिक्योर्ड किए गए हैं। जैसे कि वह संबंधित ऋण समझौते के नियमों एवं शर्तों का पालन करने में असफल रहे हैं एवं उनके ऋण अनियमित हो गए हैं एवं उनके ऋण आरबीआई दिशा-निर्देशों अनुसार एनपीए वर्गीकृत किए गए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में शामिल एवं मौजूदा समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जानी जाती) की तरफ उनकी बकाया राशियां निम्न दर्शाई तालिका में विशेष रूप से वर्णित जारी किए संबंधित नोटिसों के अनुसार दर्शाई गई हैं एवं इसके अतिरिक्त उपरोक्त राशियों पर अन्य ब्याज भी लागू हो गा एवं इसकी वसूली उनकी संबंधित तिथियों से ठेका दर अनुसार की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण की किस्म	धारा 13(2) नोटिस तिथि	धारा 13(2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	86048682	होम लोन	06.05.2026	7,14,258.28/-

कर्ज़दारों एवं सह-कर्ज़दारों का नाम : 1. सुरेंदर हरी 2. बाली सुरेंदर 3. तरसेम सुरेंदर

जायदाद का पता : गांव कैलराम, तहसील कलायत, ज़िला कैथल, हरियाणा-136117 में स्थित वर्ष 2018-2019 हेतु जमाबंदी अनुसार खेवट नं. 411, खतौनी नं. 571 एवं 512, किता 12 में शामिल कुल ज़मीन पैमाइश 68 कनाल, 00 मरला में से 7099/1360000 हिस्से को पेश करती ज़मीन पैमाइश 215 वर्ग गज (7.099 मरला) के सभी अभिन्न भाग। (रजि. ट्रांसफर डीड नं. 1114 दिनांक 17.06.2022 द्वारा जायदाद) एवं **जायदाद की हदबंदी : ईस्ट : महिंदर पुत्र भीरबान, वैस्ट : पुरान पुत्र लक्ष्मण, नॉर्थ : राजपाल पुत्र बालकी, साऊथ : गली 25 फुट**

आपको इस प्रकाशना की तिथि से 60 दिनों के भीतर इनकी संबंधित तिथियों से इस पर ब्याज के ठेका रेट एवं अन्य कीमतें, चार्ज इत्यादि सहित उपरोक्त तालिका में दर्शाए विवरण अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लि. में शामिल एवं मौजूदा समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जानी जाती)** की राशि अदा करने को एतद् द्वारा कहा गया है, नहीं तो अधोहस्ताक्षरी को **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लि. में शामिल एवं मौजूदा समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जानी जाती)** को बकाया राशि की रिलीज़ होने हेतु उपरोक्त दर्शाई गिरवी जायदाद के संबंध में सरफेसी एक्ट की धारा 13 (4) एवं धारा 14 अधीन कार्यवाही शुरू करने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसके अलावा आपको, बिक्री/लीज़ अथवा अन्य ढंग द्वारा उक्त सिक्योर्ड एसैट्स की तबदीली करने से उक्त एक्ट की धारा 13(13) अधीन मनाही है।

हस्ता/- अधिकृत अधिकारी

दिनांक : 26.05.2026

स्थान : कैथल

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिम. (पूर्व कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लि. में शामिल एवं मौजूदा समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जानी जाती)